न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 9/2025

केरिया बडोले पुत्र धन्ना जाति बिलाला निवासी हीरापुर तहसील भगवानपुरा जिला खरगौन राज्य मध्यप्रदेश।

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री इन्द्रचन्द मडूंसिया अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सुपुर्दगीनामा धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन एवं दो बैल रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–03.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने निजी व घरेलू कृषि कार्य हेतु दो गौवंश (बैल) जिला नागौर से क्रय करके अपने वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 में बैठाकर मध्यप्रदेश जा रहा था। पुलिस थाना गांधीनगर ने दिनांक 04.04.2025 को प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के वाहन तथा गौवंश (बैल) को अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु बंधक प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनयमन के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार न्यायालय की समस्त आदेश शर्तो की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने गौवंश को जरिये निजी तथा कृषि कार्य हेतु ले रहा था जिसमें प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की कानून के उल्लंघन की कोई मंशा नहीं थी। गौवंश को जरिये स्टाम्प व सरपंच के सामने क्रय किया गया था। प्रार्थी/सुपर्दगीदार को अपने वाहन तथा पशुधन के अभाव में काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी/सुपर्दगीदार अपने वाहन टेम्पो संख्या MP 10 ZF 8092 तथा अपने बैल (गोवंश) को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुडवाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 तथा दो बैल (गौवंश) को सुपुर्दगीनामें पर छुडवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने निजी व घरेलू कृषि कार्य हेतु दो गौवंश (बैल) जिला नागौर से क्रय करके अपने वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 में बैठाकर मध्यप्रदेश जा रहा था। पुलिस थाना गांधीनगर ने दिनांक 04.04.2025 को प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के वाहन तथा गौवंश (बैल) को अनतर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशु बंधक प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनयमन के तहत

जिला कलक्टर
अजमेर

जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार न्यायालय की समस्त आदेश शर्तो की पालना करने को तैयार है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने गौवंश को जरिये निजी तथा कृषि कार्य हेतु ले रहा था जिसमें प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की कानून के उल्लंघन की कोई मंशा नहीं थी। गौवंश को जरिये स्टाम्प व सरपंच के सामने क्रय किया गया था। प्रार्थी/सुपर्दगीदार को अपने वाहन तथा पशुधन के अभाव में काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी/सुपर्दगीदार अपने वाहन टेम्पो संख्या MP 10 ZF 8092 तथा अपने बैल (गोवंश) को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुडवाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 तथा दो बैल (गौवंश) को सुपुर्दगीनामें पर छुडवाने का आदेश प्रदान करे ।

थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 01.07.2025 में अवगत कराया कि प्रार्थी नितेश सैनी पुत्र राजूराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं0 14 तेजाजी मन्दिर के पास मालियो की ढाणी किशनगढ पुलिस थाना गांधीनगर जिला अजमेर लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुई कि कि हमे आज दिनांक 04.04.2025 शाम करीब 7.30 पीएम बजे सूचना मिली कि एक टैम्पो जिसमें 02 गौवंश को संदिग्ध हालात में ले जाते हुए। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रूकवाया गया जिस मौके पर देखा गया कि जिसमें गाडी नं. एमपी 10 जे एफ 8092 नागौर से खरीद कर बताया जो 100 रूपये के नोटरी पर शपथ पत्र था जिसे मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था। ना तो गौ वंश का मेडिकल करवाया हुआ था और ना ही एक स्टेट से दुसरे स्टेट कि परमिशन जाने की नहीं थी। अतः उसकी उचित कार्यवाही की जाये इन गौवंश कि हत्या के लिए ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट पर मुकदमा नं0 120/2025 धारा 5/8 राज. गोवंशीय वध का प्रतिषेद और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियम अधिनियम 1995 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण अनुसंधान, बयानात गवाहान, घटना स्थल निरीक्षण, फर्द नक्शा मौका घटनास्थत, मुर्तिबशुदा फर्दात फर्द जब्ती गौवंश बैल, फर्द जब्ती टैम्पु व फर्द गिरफतारी मुल्जिम केरीया, राहुल व बादल, फर्द पेशकशी स्टाम्प व संरपच पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, गौवंश फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल व परिस्थिति जन्य साक्ष्य, पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य व रिकार्ड से आरोपी केरीया पुत्र धन्ना जाति बिलाला निवासी हिरापुर थाना बिस्टान जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं राहुल पुत्र लक्ष्मण जाति बिलाला निवासी हिरापुर थाना बिस्टान जिला खरगोन मध्यप्रदेश व बादल पुत्र खलान सिंह जाति बिलाला निवासी धामखेडा थाना बिस्टान जिला खरगोन मध्यप्रदेश के विरूद्ध अपराध धारा 5/8 राज. गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेद और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 का प्रमाणित पाया जाने पर जरिये चार्जशीट नं0 80/2025 दिनांक 13.05.2025 उक्त मुल्जिमात के विरूद्ध अपराध धारा 5/8 राज. गोवशीय पशु (वध का प्रतिषेद और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 किता कि गई तथा जब्तशुदा गोवंश दो बैल मदनेश गोशाला किशनगढ को सुपुर्द है तथा जब्तसुदा वाहन एमपी 10 जे एफ 8092 थाना हाजा के मालखाना में जब्त है तथा जब्तसुदा वाहन व गोवंश बैलो कि तफतीश में पुलिस को अब कोई आवश्यकता नहीं है इनसे प्रकरण हाजा में तफतीश पूर्ण की जा चुकी है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत

जिला कलक्टर
अजमेर

धारा 5, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 व गौवंश से सम्बन्धित तफ्दीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी गांधीनगर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गौवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिरोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6–क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन व दो बैल (गौवंश) को सुपुर्दगीनामा अन्तर्गत धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। जबकि उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रार्थी द्वारा केवल वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छुड़वाने हेतु निवेदन किया जा सकता हैं ना कि गौवंश को। अतः गौवंश को धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाना हम उचित नहीं समझते हैं। जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 पर रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन टेम्पों संख्या MP 10 ZF 8092 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर,अजमेर